डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

सेक्टर–11 जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / यूपीटीएसी–2022 / 1197 दिनांक 05 नवम्बर, 2022

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त संस्थान।

विषयः– यूपीटीएसी–2022 की काउंसिलिंग से आवंटित विभिन्न पाठ्यक्रमों की सीटों पर टी0एफ0डबलू0 कोटे में प्रवेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

ऐसा संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कतिपय संस्थान यूपीटीएसी–2022 की काउंसिलिंग से आवंटित टी0एफ0डबलू0 सहित अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का सीटों पर प्रवेश लेने से मना कर रहे है ।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि यूपीटीएसी–2022 की काउंसिलिंग से टी0एफ0डबलू0 सहित अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त धनराशि की मांग संस्थाओं द्वारा की जा रही है, जो विश्वविद्यालय के नियम विरूद्ध है।

अतः समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि यूपीटीएसी–2022 की काउंसिलिंग से आवंटित टी0एफ0डबलू0 सहित अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रवेश की कार्यवाही का अनुपालन न करने की दशा में संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की बाध्यता होगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय संस्था का होगा।

05/11/22

(सचिन कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. समन्वयक, काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
3. सम्बद्धता विभाग, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
5. स्टाफ आफीसर, ए0के0टी0यू0 लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

(सचिन कुमार सिंह)
कुलसचिव